अनुबंध – 4

पुराने उच्च मूल्यवर्ग के बैंक नोटों के वैध मुद्रा स्वरूप की वापसी के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

प्रश्न 1 – यह योजना क्यों ?

उत्तर – उच्च मूल्यवर्गों में जाली भारतीय मुद्रा नोटों की घटनाएँ बढ़ गई हैं । आम आदमी को यह जाली नोट असली नोटों की तरह ही दिखाई पड़ते हैं, जब कि इनमें किसी भी सुरक्षा विशेषता की नकल नहीं की गई है । जाली नोटों का उपयोग राष्ट्र–विरोधी एवं अवैध गतिविधियों के लिए किया जाता है । उच्च मूल्यवर्ग के नोटों का दुरुपयोग आतंकवादियों और काले धन की जमाखोरी के लिए किया गया है । भारत एक नगद-आधारित अर्थव्यवस्था है, इसलिए जाली भारतीय मुद्रा नोटों के प्रचलन का संकट जारी है । जाली नोटों तथा काले धन की बढ़ती घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए यह योजना आरंभ की गई है ।

प्रश्न 2 – यह योजना क्या है ?

उत्तर – 500 रुपए और 1000 रुपए मूल्यवर्ग नोटों का वैध निविदा स्वरूप वापिस लिया जाता है । इसके परिणाम स्वरूप पुराने उच्च मूल्यवर्ग के नोट व्यापारिक लेन-देन और / अथवा भावी उपयोग हेतु मूल्य-संचय के लिए उपयोग नहीं किया जा सकेगा । पुराने उच्च मूल्यवर्ग के नोटों के विनिमय का मूल्य भारतीय रिज़र्व बैंक के किन्हीं भी 19 कार्यालयों अथवा किसी भी बैंक शाखा से प्राप्त किया जा सकता है ।

प्रश्न 3 – मुझे कितना मूल्य मिलेगा ?

उत्तर – आपको बैंक की शाखाओं / रिज़र्व बैंक के कार्यालयों में आपके द्वारा निविद किए गए सभी बैंक नोटों का मूल्य मिलेगा ।

प्रश्न 4 – क्या मुझे सारा मूल्य नगद में मिलेगा ?

उत्तर – नहीं । निविद की गई राशि के निरपेक्ष, प्रत्येक व्यक्ति को 4000 रुपए तक नगद मिलेगा । इससे अधिक राशि आपके बैंक खाते में जमा की जाएगी ।

प्रश्न 5 – जब मैंने सारी राशि नगद में निविद की है, तो मुझे सारी राशि नगद में क्यों नहीं मिल सकती ?

उत्तर – ''पुराने उच्च मूल्यवर्ग के बैंक नोटों की वापसी' की योजना के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए, यह प्रावधान योजना में नहीं है ।

प्रश्न 6 – 4000 रुपए की नगद राशि मेरी आवश्यकता के लिए अपर्याप्त है । मैं क्या करूँ ?

उत्तर – आप अपने बैंक खाते के बैलेन्स को अपनी बाकी आवश्यकताओं के भुगतान हेतु 'चेक' अथवा भुगतान के इलेक्ट्रोनिक माध्यम जैसे इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बटुआ, IMPS, क्रेडिट / डेबिट कार्ड इत्यादि से उपयोग कर सकते हैं ।

7. क्या होगा यदि मेरा कोई बैंक खाता नहीं है ?

आप KYC आवश्यकता को पूरा करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों के साथ किसी बैंक शाखा मे जाकर खाता खोल सकते हैं

8 क्या होगा यदि, मेरा सिर्फ JDY खाता है ?

JDY खाता धारक, मानदंडों और प्रक्रियाओं के अनुसार, कैप और अन्य निर्धारित सीमा के अंदर विनिमय की सुविधा का लाभ ले सकते हैं|

9. नोटों का विनिमय करने के लिए मैं कहा जा सकते हूँ?

विनिमय की सुविधा भारतीय रिजर्व बैंक के सभी निर्गम कार्यालयो और वाणिज्यिक बैंकों/ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक / शहरी सहकारी बैंक /राज्य सहकारी बैंक की शाखाओं मे उपलब्ध है

10. क्या अपने बैंक की शाखा में ही जाना जरूरी है ?

4000 तक की नगदी के विनिमय के लिए आप किसी भी बैंक की शाखा में वैध पहचान पत्र के साथ जा सकते है|

4000 से अधिक नकदी के विनिमय की राशि आपके बैंक खाते में क्रेडिट के माध्यम से ही दी जाएगी, इसीलिए आप उस बैंक शाखा मे जाए जहाँ आपका खाता हो या उसी बैंक की किसी अन्य शाखा में भी जा सकते हैं|

यदि आप किसी अन्य बैंक की शाखा में जाना चाहते है, जहा आपका खाता नहीं है, तब आपको आपके खाते में इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर के लिए, अपना वैध पहचान पत्र एवं बैंक खाते का विवरण प्रस्तुत करना होगा |

11. क्या मैं अपने बैंक की किसी भी शाखा में जा सकता हूँ?

हाँ , आप अपने बैंक की किसी भी शाखा में जा सकते हैं |

12. क्या मैं किसी भी बैंक की किसी भी शाखा में जा सकता हूँ?

हाँ, आप किसी भी बैंक की किसी भी शाखा में जा सकते हैं | परन्तु, उस स्थिति मे आपको नगदी के विनिमय के लिए वैध पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा; इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर के लिए वैध पहचान पत्र एवं बैंक खाते का विवरण दोनों आवश्यक होंगे यदि, विनिमय की राशि रू. 4000 से ज्यादा है |

13. मेरा कोई खाता नहीं है परन्तु मेरे रिश्तेदार/दोस्त का खाता है, क्या मैं अपने नोटो की विनिमय राशी उसके खाते मे प्राप्त कर सकता हूँ ?

हाँ, आप ऐसा कर सकते हैं यदि खाता धारक रिश्तेदार/दोस्त आपको लिखित अनुमति दे | विनिमय के दौरान , आपको बैंक को , खाता धारक की अनुमति का प्रमाण और अपना वैध पहचान पत्र देना होगा |

14. क्या मुझे खुद बैंक में जाना चाहिए या नोट्स किसी प्रतिनिधि के हाथ भी भेज सकते हैं?

शाखा में स्वयं जाना बेहतर है। यदि यह आप के लिए संभव नहीं है तो आप अपने प्रतिनिधि के साथ लिखित प्राधिकरण देकर ब्रांच भेज सकतें हैं। जो व्यक्ति प्रतिनिधि हैं वो नोट देते समय लिखित प्राधिकरण एवं अपना वैध पहचान पत्र जरूर प्रस्तुत करें।

15. क्या मैं एटीएम से रुपये निकाल सकता हूँ?

बैंकों को एटीएम को recalibrate करने में थोड़ा समय लग सकता है। एक बार एटीएम क्रियाशील हो जाएँ, तब आप अधिकतम दो हजार रुपये प्रति कार्ड प्रति दिन 18 नवंबर 2016 तक निकाल सकते हैं। यह सीमा 19 नवंबर 2016 से रू. 4000 प्रति दिन प्रति कार्ड कर दी जाएगी।

16. क्या मैं चेक से रुपये निकाल सकता हूँ?

जी हाँ, आप आहरण पर्ची या चेक से नकद रुपये पहले पखवाड़े अर्थात 24 नवम्बर 2016 तक किसी सप्ताह में रू. 20000 की एक समग्र सीमा के अधीन रहते हुए (एटीएम से निकासी सहित) रू. 10000/- प्रति सप्ताह तक निकाल सकते हैं ।

17. क्या मैं वापसी के लिए नोट एटीएम / कैश डिपॉज़िट मशीन या कैश रिसायकलर मशीन के माध्यम से जमा कर सकता हूँ ?

जी हाँ, वापसी के लिए नोट कैश डिपॉज़िट मशीन / कैश रिसायकलर में जमा कर सकते हैं ।

18. क्या मैं ईलेक्ट्रोनिक (एनईएफ़टी /आरटीजीएस / आईएमपीएस/ इंटरनेट बैंकिंग / मोबाइल बैंकिंग, इ.) का उपयोग कर सकता हूँ?

जी हाँ, आप एनईएफ़टी /आरटीजीएस / आईएमपीएस/ इंटरनेट बैंकिंग / मोबाइल बैंकिंग या अन्य इलेक्ट्रोनिक / गैर नकदी भुगतान का उपयोग कर सकते हैं।

19. नोट के विनिमय करने के लिए मेरे पास कितना समय हैं?

यह योजना 30 दिसम्बर 2016 को समाप्त हो रही है । वापसी के लिए उच्च मूल्यवर्ग के बैंक नोट जो लोग 30 दिसंबर 2016 तक विनिमय नही कर पाए उन्हें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्दिष्ट जरूरी कागजातों के साथ आरबीआई की निर्धिष्ट शाखाओं में 31 मार्च 2017 तक विनिमय करने का अवसर दिया जाएगा।

20. मैं अभी भारत में नहीं हूँ, मुझे क्या करना चाहिए?

अगर आपके पास वापसी के लिए उच्च मूल्य वर्ग के बैंक नोट्स भारत में हैं तो आप किसी भी व्यक्ति को लिखित में अधिकृत करके बैंक में आपके खाते में नोट जमा करने के लिए भेज सकते हैं। वह व्यक्ति जिसको आपने अधिकृत किया है बैंक शाखा में उक्त नोटों के साथ जाएगा और वहाँपर आप के द्वारा दिया गया अधिकृत पत्र के साथ खुदका वैध प्रमाण पत्र (आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेन्स, वोटर आई डी कार्ड, पासपोर्ट, नरेगा कार्ड, पैन कार्ड, किसी भी सरकारी विभाग एवं पीएसयू द्वारा अपने स्टाफ को जारी पहचान पत्र देगा।

21. मैं एक एनआरआई हूँ और मेरा एनआरओ खाता है। क्या विनिमय मूल्य मेरे खाते में जमा किया जा सकता है?

जी हाँ, आप वापसी के लिए उच्च मूल्यवर्ग के बैंक नोट आपके एनआरओ खाते में जमा कर सकते हैं।

22. मैं एक विदेशी पर्यटक हूँ और मेरे पास ये नोट हैं। मुझे क्या करना चाहिए?

आप इन नोटों से एयरपोर्ट विनिमय काउंटर पर नोटिफ़िकेशन के 72 घंटों के अंदर, विदेशी मुद्रा खरीद सकते हैं, बशर्ते आप इन वापसी योग्य उच्च मूल्यवर्ग नोटों को खरीदने का प्रमाण दें।

23. मुझे आपातकालीन स्थिति (अस्पताल, यात्रा, जीवनरक्षक दवाएं) में अगर नकदी चाहिए तो क्या करना चाहिए?

आप उक्त नोटों का इस्तेमाल, सरकारी अस्पताल में अस्पताल भर्ती होने का शुल्क देने के लिये, सरकारी बस स्टैंड पर सरकारी बस या स्टेट पीएसयू बस से यात्रा टिकिट खरीदने के लिए, रेल्वे स्टेशन पर ट्रेन टिकिट के लिए और हवाई अड्डे पर हवाई टिकिट के लिए अधिसूचना के 72 घंटों के अंदर कर सकते हैं।

24. पहचान पत्र क्या है?

वैध पहचान पत्र इनमें से कोई भी –

आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेन्स, वोटर आई डी कार्ड, पासपोर्ट, नरेगा कार्ड, पैन कार्ड, किसी भी सरकारी विभाग एवं पीएसयू द्वारा स्टाफ को जारी पहचान पत्र

25. मुझे इस योजना के बारे में और अधिक जानकारी कहाँ से मिल सकती है?

बाकी की जानकारी हमारी वैबसाइट www.rbi.org.in और भारत सरकार की वैबसाइट पर उपलब्ध है।

26. अगर मुझे कोई समस्या है तो किससे संपर्क करें?

आप आरबीआई के कंट्रोल रूम को ईमेल पर या टेलीफ़ोन नंबर 022-22602201 / 022-22602944 पर संपर्क कर सकते हैं।